वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2009

(आय-कर)

का.आ. 2879(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 की उप-धारा (1) के चौथे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक आय-कर (अन्वेषण) और महानिदेशक (आसूचना) के अधीन कार्यरत सभी आय-कर अपर निदेशकों और आय-कर संयुक्त निदेशकों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकार जारी करने के लिए सशक्त करता है ।

[अधिसूचना सं. 82/2009/फा. सं.142/23/2009-एसओ (टीपीएल)(भाग)]

पवन के. कुमार, निदेशक (कर नीति और विधान)